संख्याः-19/2025/409/78-1-2025-78-01099/185/2024

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2025

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अन्तर्गत मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को पूंजी उपादान का संवितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्मार्ट फोन्स उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु रू 2000 करोड़ (भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं) के अनुमानित निवेश के प्रस्ताव पर उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की मांग की गयी थी तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की दिनांक 28 नवम्बर 2016 को आयोजित बैठक में निवेशक के प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

2- कालान्तर में माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त, मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.9 के अन्तर्गत रु 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को केस-टू-केस आधारित विशेष प्रोत्साहन प्रदान दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्मार्ट फोन्स उत्पादक इकाई की स्थापना के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार रु 2000 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किए जाने की स्वीकृति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1620/78-1-2016-146आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रदान की गई थीः-

क्र0सं0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	धनराशि (रू करोड़ में)
1	पूंजी उपादान	भूमि को छोड़कर पूंजीगत निवेश (रू 2000 करोड़) पर 15 प्रतिशत	300.00
2	स्टैम्प ड्यूटी छूट	भूमि हेतु शत प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी छूट (भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर)	12.00
3	वेट/केन्द्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति	10 वर्षों तक वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति	1633.00
4	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	35.00
5	ई.एस.आई. तथा भविष्य निधि	ई.एस.आई. तथा भविष्य निधि अंशदान की प्रतिपूर्ति	20.00
		योग	**2000.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के अनुक्रम में "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" के क्रियान्वयन हेतु नामित नोडल संस्था - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 02 जनवरी 2017 को निर्गत किया गया था।

4- कालान्तर में निवेशक को निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट में अनुमन्य वैट प्रतिपूर्ति के स्थान पर नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः778/78- 1-2022-1826/2021 दिनॉक 02 जून 2022 जारी किया गया है।

5- इकाई द्वारा परियोजना का परिचालन दिनांक 22 फरवरी 2019 को आरम्भ किया गया तथा उक्त के क्रम में मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त नीति के अन्तर्गत पूंजी उपादान का संवितरण किये जाने की मांग की गई।

6- नोडल संस्था के कार्यालय पर कार्यरत पी.एम.यू. के कन्सलटेन्ट्स तथा नोडल संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2021 को मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

7- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.1 (पूंजी उपादान) के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1088/78-1-2015-165आईटी/2014टीसी, दिनांक 04 नवम्बर 2015 द्वारा किया गया है।

8- निवेशक कम्पनियों को प्रोत्साहन संवितरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों/अभिलेखों की प्रोसेसिंग तथा परीक्षण/ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध वैल्यूअर/ वेरीफिकेशन एजेन्सी M/s Durgesh & Co द्वारा मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन व सत्यापन के पश्चात निवेशक द्वारा दावा किये गये निवेश रु 1058.12 करोड़ के सापेक्ष कुल निवेश रु 801.56 करोड़ पात्र पाया गया। M/s Durgesh & Co द्वारा निवेशक के निवेश का आगणन तथा अभ्युक्ति अपनी आख्या में निम्नवत् दर्शाया गया

This report has been prepared using the essential information, explanations, and required documents for verifying the investment made during Phase-1 from April 29, 2017 to March 31, 2020, under the UPEMP-2014 policy, as part of the application for capital subsidy disbursement.

Table-1 – Plant and Machinery

S. No	PARTICULARS	AMOUNT (In Cr.)
1	Total Cost of Plant & Machinery as per Investor	275.66
2	Excess Investment Claim	(2.14)
3	Erection and Commissioning of Machinery found pre-dated to BOE/ Invoice	(28.61)
4	Machinery physically not found	(1.12)
	Total deduction	(31.87)
	Eligible cost of Plant & Machinery	243.79
Note: During the physical verification of the Plant & machinery, valuer have found that some Machinery commissioned pre-dated (Old) to BOE/Invoice to the tune of Rs. 28.61 Crore and also some machineries worth of Rs. 1.12 Crore were physically not found. Also, there has been an excess investment claim of Rs 2.14 Crore, and hence the cost of investment of Rs. 31.87 Crore is disallowed. The eligible investment amount in Plant & machinery is Rs. 243.79 Crore against the claim of Rs. 275.66 Crore.		

Table-2 - Building

S. No	PARTICULARS	AMOUNT (In Cr.)
1	Total Cost of Building as given by Investor Company in their Claim	809.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	Invoices/Bills not complying with prevailing GST Law	(20.04)
3	Total building cost derived by a valuer after excluding all disallowed amounts.	789.42
4	Total Cost of Building as certified by Valuer in their valuation report as per CPWD/ PWD standard rates	557.77
	Total Eligible Investment on Building (least of the above) as recommended for disbursement of incentive.	557.77
Note: The eligible investment amount for capital subsidy in Building & Civil Work is Rs. 557.77 Crore against the submitted claim of Rs. 809.46 Crore .		

Table-3 – Fixed Capital Investment

Sr. No.	Overall FCI as per Investor	Eligible FCI as per Valuer	Claimed Capital Subsidy	Approved Incentives as per LoC	Recommended Subsidy Amount by valuer
1	1085.12 Cr	801.56 Cr.	162.77 Cr	300.00 Cr	120.23 Cr
				Total Subsidy	120.23 Cr

Hence the eligible capital subsidy is Rs. 120.23 Crore or say Rs. 120,23,00,000.00 (Rupees One Hundred Twenty Crore Twenty-Three Lakh Only is recommended against the investor's claim of Rs. 162.77 Crores.

9- मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी उपादान की मांग पर नीति कार्यान्वयन इकाई की दिनांक 17 सितम्बर 2024 को आहूत बैठक में विचार किया गया। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा पाया गया कि वर्तमान में 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)' प्रचलित है। उक्त नीति के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-1901/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 11 जनवरी 2021 में व्यवस्था है कि रु 200 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन संवितरण के मामलों में भी उक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जाये। उक्त के आलोक में उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरण में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है।

10- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण को उपयुक्त पाते हुए मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड लि0 को कुल अनुमन्य पूंजीगत उपादान (रू 300.00 करोड़) के सापेक्ष प्रथम चरण के लिए मांग की गई धनराशि रु 162.77 करोड़ के विरुद्ध वैल्युअर - M/s Durgesh & Co द्वारा संस्तुत रु 120.23 करोड पूंजीगत उपादान का प्रथम संवितरण किये जाने हेतु प्रकरण को सशक्त समिति की अनुशंसा हेतु संस्तुति प्रदान की गई।

11- प्रकरण में नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा की गई संस्तुतियों पर सशक्त समिति द्वारा दिनांक 06 नवम्बर 2024 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया। सशक्त समिति द्वारा मेसर्स ओप्पो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को कुल अनुमन्य पूंजीगत उपादान (रू 300.00 करोड़) के सापेक्ष प्रथम चरण के लिए मांग की गई धनराशि रु 162.77 करोड़ के विरुद्ध वैल्युअर - M/s Durgesh & Co द्वारा संस्तुत कुल पूंजी उपादान धनराशि रु 120.23 करोड़ का संवितरण किये जाने हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा दिनांक 17 सितम्बर 2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर विचार कर प्रकरण को मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

12- प्रकरण में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सम्पादित प्रक्रिया, M/s Durgesh & Co द्वारा अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन व सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत सत्यापन आख्या/आडिट रिपोर्ट, तथा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं सशक्त समिति की बैठकों में प्रस्तुत तथ्यों एवं उनकी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रकरण को उपयुक्त पाते हुए मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को पूंजी उपादान धनराशि रु 120.23 करोड़ (रूपये एक सौ बीस करोड़ तेइस लाख मात्र) का संवितरण किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

13- नोडल संस्था द्वारा इकाई को पूंजीगत उपादान के संवितरण हेतु शासन से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त करने तथा शासनादेश संख्याः-1088/78-1-2015-165आईटी/2014टीसी दिनांक 04 नवम्बर 2015 का अनुपालन एवं तद्रूरूप औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए इकाई को पूंजीगत उपादान संवितरण की कार्यवाही किया जाये। संवितरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लघंन नहीं हो रहा हो। साथ ही सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए नोडल संस्था यूपीएलसी स्वयं उत्तरदायी होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग यादव
प्रमुख सचिव

संख्या:-19/2025/409(1)/78-1-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
7- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
8- गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्याः-4/3/3/2025-सी0एक्स0(1), दिनांक 27-03-2025 के संदर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।